बिहार राज्य सूचना आयोग **फोन नं0–2225713**
चौथा तल्ला, सूचना भवन, बेली रोड, पटना फैक्स नं0- 2235466

पत्रांक–1/वि0–229/07/................/रा0सू0आ0 पटना, दिनांकः..............दिसम्बर, 2007

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मियों को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के कार्यान्वयन का प्रशिक्षण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सूचना आयोग के तत्वावधान में दिनांक 07.12.07 को सरकारी विभागों के पदाधिकारियों एवं सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के क्षेत्र में कार्यरत, गैर सरकारी स्वयंसेवी सस्थाओं की एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें **सूचना का अधिकार 'समस्याऐं एवं समाधान'** पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान अन्य तथ्यों के अलावें यह तथ्य भी उजागर हुआ कि पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत सरकारी कर्मियों में अधिनियम के विषय में जानकारी का अभाव है। परिणामतः अधिनियम का उपयोग ग्रामीण जनता द्वारा अपेक्षाकृत कम किया जा रहा है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि पंचायत एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को तद्नुसार प्रशिक्षित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ताकि आम लोगों की अधिनियम के उपयोग में सरकारी व्यवस्था का सहयोग प्राप्त हो सके।

विश्वासभाजन
ह0/–
(एस0 के0 मिश्र)
सचिव

ज्ञापांकः– 1546 दिनांकः– 18/12/07

प्रतिलिपिः– निदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना/प्रधान सचिव,ग्रमिण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12/07
(एस0 के0 मिश्र)
सचिव

प्रधान सचिव कोषांग
ग्रामीण विकास विभाग
डायरी सं0 10779/c
तिथि 19/12/07

2438
24.12.07